जिला स्वास्थ्य समिति, अररिया

संचिका सं0 53/2016-17
पत्रांक 444 दिनांक 25/05/17

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय : निविदा सूचना प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक अररिया जिला अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल अस्पताल, अनु0 अस्पताल, सदर अस्पताल अन्तर्गत निजी सुरक्षा गार्ड (भूतपूर्व सैनिक शस्त्र सहित/बिना शस्त्र के) पुनर्वास महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार (डी0जी0आर0) से निबंधित/Empanelled निविदादाता/सुरक्षा एजेंसियों से टू-बिड सिस्टम (तकनीकि एवं प्राईस बिड) के अन्तर्गत निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से रूचि की अभिव्यक्ति हेतु निविदा सूचना प्रकाशन बिहार के दो प्रमुख समाचार पत्रों में किया जाना है। इस हेतु संबंधित सूचना प्रकाशन के लिए पॉच प्रतियॉ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त सूचना प्रकाशन करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : 05 (पॉच) प्रतियॉ !

विश्वासभाजन

25/5/17 25/5/17

जिला कार्यकम प्रबंधक
जिला स्वास्थ्य समिति, अररिया

सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, अररिया

ज्ञापांक 444 /अररिया, दिनांक 25/05/17

प्रतिलिपि : जिला सूचना, विज्ञापन पदाधिकारी, जिला सूचना ~~एवं जनसम्पर्क कार्यालय,~~ विज्ञापन केन्द्र अररिया को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि एन0आई0सी0, अररिया के वेबसाईट पर भी संबंधित सूचना अपलोड करने की कृपा करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ प्रषित्।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित्।

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

25/5/17 25/5/17

जिला कार्यकम प्रबंधक
जिला स्वास्थ्य समिति, अररिया

सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, अररिया

सदर अस्पताल परिसर
अररिया – 854311

स्वस्थ अररिया समृद्ध अररिया

दूरभाष : 06453-224642, 224575
Email : dhsarariareports@gmail.com
dhsararia33@gmail.com

जिला स्वास्थ्य समिति, अररिया

रूचि की अभिव्यक्ति हेतु प्राप्ति सूचना

अररिया जिला के स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल अस्पताल, अनु0 अस्पताल, सदर अस्पताल अन्तर्गत निजी सुरक्षा गार्ड (भूतपूर्व सैनिक शस्त्र सहित/बिना शस्त्र के) पुनर्वास महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार (डी0जी0आर0) से निबंधित/Empanelled निविदादाता/सुरक्षा एजेंसियों से टू–बिड सिस्टम (तकनीकि एवं प्राईस बिड) के अन्तर्गत निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। निविदादाता द्वारा प्रेषित रूचि की अभिव्यक्ति निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों तक कार्यालय अवधि 5.00 बजे तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय– जिला स्वास्थ्य समिति, अररिया कार्यालय, सदर अस्पताल, अररिया में पहुँच जाना चाहिए। यदि अंतिम तिथि को किसी भी प्रकार का राजपत्रित अथवा रविवारीय अवकाश होगा तो अगले कार्य दिवस को निविदा प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि माना जायेगा। बिलंब से प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा/रूचि की अभिव्यक्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी यथा – नियम एवं शर्त्तें वित्तीय निविदा प्रपत्र आदि जिला के वेवसाईट – www.araria.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

19.5.15

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, अररिया

24/5/15

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, अररिया

जिला स्वास्थ्य समिति, अररिया

Expression of Interest

अररिया जिला के स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल अस्पताल, अनु0 अस्पताल, सदर अस्पताल में चिकित्सकों/पारा मेडिकल कर्मियों/अस्पताल की सम्पति की सुरक्षा हेतु निजी (भूतपूर्व सैनिक) सुरक्षा गार्ड (शस्त्र सहित/बिना शस्त्र के) एवं रात्रि सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध कराया जाना है। रात्रि सुरक्षा प्रहरी हेतु अधिकतम 5000/– (पॉच हजार) रू0 प्रतिमाह/प्रहरी (सभी प्रकार के कर एवं अन्य भत्ता सहित) अधिकतम की दर से राशि आवंटित की गई है। अतएव अधिकतम राशि से अधिक का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा।

उपरोक्त प्रकार के सुरक्षा गार्ड/रात्रि सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध कराने हेतु पुनर्वास महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार (डी0जी0आर0) से निबंधित/Empanelled निविदादाता/सुरक्षा एजेंसियों से टू–बिड सिस्टम (तकनीकि एवं प्राईस बिड) के अन्तर्गत निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से 24X7 (24वॉ घंटा सप्ताह के सातों दिन) के आधार पर सुरक्षा गार्ड (भूतपूर्व सैनिक/सामान्य (शस्त्र सहित एवं बिना शस्त्र के)/रात्रि सुरक्षा प्रहरी की उपलब्धता हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। निविदादाता द्वारा प्रेषित रूचि की अभिव्यक्ति निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों तक 5.00 बजे तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय – जिला स्वास्थ्य समिति, अररिया कार्यालय, सदर अस्पताल परिसर, अररिया में पहुँच जाना चाहिए। यदि अंतिम तिथि को किसी भी प्रकार का राजपत्रित अथवा रविवारीय अवकाश होगा तो अगले कार्य दिवस को निविदा प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि माना जायेगा। बिलंब से प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

1. निविदादाता का तकनीकि बिड में निविदा प्रपत्र के साथ निम्नांकित कागजात संलग्न होना चाहिए –
   a. अद्यतन लेबर लाईसेंस।
   b. कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र।
   c. कार्यानुभव के रूप में विगत वर्षों में बिहार/झारखंड सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी उपकम में सुरक्षा प्रहरियों की सेवा प्रदान करने संबंधित प्रमाण पत्र एवं कार्यादेश की छायाप्रति।
   d. एजेंसी का इन्कम टैक्स पैन (PAN) की छायाप्रति।
   e. प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी अथवा नोटरी एफिडेविट जिसमें लिखा हो कि **"मेरा फर्म/एजेंसी किसी भी सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी उपकम में काली सूची में दर्ज नहीं है तथा पूर्व में दोषी नहीं पाया गया है।"**
   f. अग्रधन के रूप में 25,000/– (पच्चीस हजार) रूपये मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट, जो जिला स्वास्थ्य समिति, अररिया के नाम से भुगतेय होगा।
   g. भारत सरकार के सेवा कर विभाग में निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र।
   h. निविदादाता एजेंसी का विगत दो वर्षों के अन्तर्गत किसी एक वर्ष में न्यूनतम 25 (पच्चीस) लाख का टर्नओवर का प्रमाण पत्र एवं इससे संबंधित तीन वर्षो का बैलेंस शीट एवं आयकर रिटर्न की प्रति।

i. निविदादाता फर्म/एजेंसी को ई0एस0आई0 में निबंधित होना चाहिए।
2. सुरक्षा व्यवस्था में भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. बिहार सरकार गृह मंत्रालय द्वारा अधिनियम, 2005 के अधीन वैद्य निबंधित सुरक्षा एजेंसी ही निविदा में भाग ले सकते हैं, एवं डी0जी0आर0 पंजीकृत इन्फैंट्री विंग सुरक्षा ऐजेंसी नई दिल्ली के द्वारा बिहार के लिए निबंधित होने का छायाप्रति अनिवार्य।
4. प्रेषित दर न्यूनतम 01 (एक) वर्ष के लिए मान्य होगा एवं आगामी वर्ष के लिए भारत सरकार/बिहार सरकार श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर से वृद्धि पर विचार किया जायेगा।
5. सुरक्षा प्रहरियों का फोटो पहचान पत्र जिसमें प्रहरी का नाम एवं भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में सैनिक की संख्या अंकित हो, सुरक्षा एजेंसी द्वारा देना अनिवार्य होगा। सुरक्षा प्रहरियों के लिए आर्म्स लाठी/रूल/टार्च/बैट्री/वर्दी/जूते एवं सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित अन्य उपकरण की व्यवस्था निविदादाता एजेंसी को अपने स्तर से करना होगा। इसके लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जायेगा।
6. सुरक्षा प्रहरियों को उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, अररिया/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, संबंधित स्वास्थ्य संस्थान के दिशा–निर्देश के अनुसार कार्य करना होगा।
7. इस निविदा का कार्यकाल न्यूनतम दो वर्ष होगा तथा संसाधन की आवश्यकतानुसार एवं संतोषप्रद कार्य की स्थिति में अवधि विस्तार पर विचार किया जा सकेगा। निविदादाता द्वारा प्रेषित दर न्यूनतम एक वर्ष तक मान्य होगा एवं आगामी वर्षों के लिए राज्य सरकार श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर से वृद्धि पर विचार किया जा सकेगा।
8. सफल निविदादाता को कार्य प्रारंभ के पूर्व 1000/– (एक हजार) रू0 के नन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर जिला स्वास्थ्य समिति, अररिया के साथ एकरारनामा करना होगा। इस निविदा से संबंधित विवादों का न्यायिक क्षेत्र अररिया होगा।
9. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदा को अंशतः या पूर्णतः किसी भी स्थिति में स्वीकार अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
10. निविदादाता निविदा प्रपत्र में अंकित प्रोफार्मा के अनुसार ही टंकित दर प्रेषित करेंगे। उक्त प्रोफार्मा के अलावे किसी अन्य रूप में तथा हस्तलिखित दर स्वीकार नहीं किया जायेगा।
11. सुरक्षा व्यवस्था में त्रुटि/शिकायत होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा सिक्युरिटी मनी की राशि अंशतः या पूर्णतः जब्त करने तथा कार्यादेश रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
12. सुरक्षा प्रहरियों को बिहार सरकार, श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी का भुगतान करना निविदादाता का दायित्व होगा। इसके लिए वेतन का भुगतान बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कराना सुनिश्चित करना होगा।
13. अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस कार्य को एक या एक से अधिक निविदिदाताओं में बॉटा जा सकता है।

19/5/17

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, अररिया

24/5/17

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, अररिया